संख्या-146/2016/299/22-2-2016-17(74)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर निवासी ग्राम-मुल्हैड़ा, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे देशी तमन्चा एवं रायफल से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिये बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/2000, 127/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,307,302 एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 चतुर्दश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 21.08.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के सभी सहअभियुक्त कारागार मे निरूद्ध हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 20 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुधीर (बन्दी संख्या-13440) पुत्र श्री बालेश्वर निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-146/2016/299(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-146/2016/299@22-2-2016-17(74)/2016

दिनांक 06 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर निवासी ग्राम-मुल्हैडा, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.09.1999 को प्रात: लगभग 10:00 बजे देशी तमन्चा एवं रायफल से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिये बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/2000, 127/2000 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,307,302 एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 चतुर्दश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 21.08.2003 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के सभी सहअभियुक्त कारागार मे निरूद्ध हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 20 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री बालेश्वर, निवासी जनपद-मेरठ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।